सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 40/13 **निर्णय दिनांकः—04.07.2018**

1. बजरंगलाल
2. ओमप्रकाश
3. रामधन

पुत्रगण भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी कुचौर आगुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल वार्ड नम्बर 2 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

4. जानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी कुचौर आगुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. श्रीमती मोहनी पत्नि धुकलराम जाति बिश्नोई
2. बनाराम
3. रामेश्वर
4. गिरधारी

पुत्र बक्साराम जाति ब्राहमण

5. सुरजी बेवा मघाराम जाति ब्राहमण
6. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति ब्राहमण
7. बालुराम पुत्र मघाराम जाति ब्राहमण
8. राजूराम पुत्र मघाराम जाति ब्राहमण
9. गुड्डी पुत्री मघाराम जाति ब्राहमण
10. तुलछी बेवा भैराराम जाति ब्राहमण
11. सुरजाराम पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण
12. तोलाराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहमण
13. लिछमाराम पुत्र भूराराम जाति ब्राहमण
14. जमा बेवा लिछमाराम जाति ब्राहमण
15. धनराज पुत्र लिछमाराम जाति ब्राहमण
16. तोली पुत्री भूराराम जाति ब्राहमण(फौत)

16/1 मालाराम
16/2 बजरंगलाल
16/3 नत्थू
16/4 मंगल
16/5 पप्पु
16/6 माली

पिसरानी तोलीदेवी

17. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण

18. राधाकिसन पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण हाल निवासी नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर
19. सरस्वती बेवा फूसाराम जाति ब्राहमण
20. भगवानाराम पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण
21. बाबूलाल पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण
22. ओमप्रकाश पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण
23. श्रवणराम पुत्र फूसराम जाति ब्राहमण
24. रामगोपाल पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण
25. करणपाल पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण
26. रामेश्वरलाल पुत्र जयसुखराम जाति बिश्नोई
27. गंगाजल पुत्र जयसुखराम जाति बिश्नोई
28. मूलीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सुथार
29. गोवर्धन पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार
30. मैनादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति सुथार
31. रामप्यारीदेवी पत्नी भींयाराम जाति बिश्नोई
32. भानीसिंह पुत्र गाड़सिंह जाति राजपूत
33. मनोहरसिंह पुत्र गाड़सिंह जाति राजपूत निवासीगण कुचौर आगुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
34. गिरिश कुमार पुत्र लिछमणराम उर्फ कुन्दनमल जाति पारिक निवासी गढबरेली तसहील व कस्बा पूर्णिया बिहार।
35. पवनकुमार
36. अंजनीराम
37. कैलाश पिसरान लक्ष्मीनारायण पारिक निवासी नया बास,केम्बर रोड़ सुजानगढ़ जिला चूरू।
38. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 06—06—2011

उपस्थितः

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री रामरतन गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 15, 19 ता 37
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 06—06—2011 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुने व नोटिस दिये एकतरफा खाता विभाजन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके खेत खसरा नम्बर 40 में 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 156 में 4.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 174 में 3.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 202 में 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 में 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 220 में 2.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 238 में 3.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 244 में 4.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 में 6.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 247 में 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 में 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 में 3.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 251 में 5.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 252 में 3.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 में 2.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 में 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 में 8.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 264 में 7.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 में 8.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 272 में 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 307 में 6.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 626 में 1.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 में 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 में 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 में 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 370 में 5.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 371 में 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 में 5.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 में 3.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 509 में 9.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 526 में 3.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 548 में 3.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 में 2.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 550 में 2.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 में 9.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 में 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 में 3.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 में 2.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 583 में 2.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 585 में 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 588 में 4.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 633 में 4.37 हेक्टर,

खसरा नम्बर 635 में 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 670 में 2.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 में 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 725 में 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 727 में 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 792 में 3.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 801 में 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 802 में 3.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 398 में 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 900 में 5.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 901 में 1.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 903 में 1.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 908 में 3.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 917 में 0.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 में 2.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 923 में 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 924 में 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 925 में 4.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 930 में 4.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 996 में 5.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 1026—588 में 0.25 हेक्टर, कुल किता 64 तादादी 216.67 हेक्टर भूमि वाके रोही कुचौर आगुणी में स्थित है। वादगत् भूमि के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 21 सहकाश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 व 20 ने अपने हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 22 ता 32 को विक्रय कर दी गई। अतः अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 22 ता 32 प्रतिस्थापित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही कोई सूचना अथवा कोई नोटिस तामील करवाये गये है ना ही वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व नियम 18 ता 21 की पालना की गई है। वादगत् भूमि पर अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि पर वर्षो से ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट के नाम खाता विभाजन के आदेश व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को मृत बताया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लिछमाराम अभी जिन्दा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को मृत बताकर लिछमाराम की सम्पति का विभाजन आदेश जैर अपील के माध्यम से किया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता।

उन्होंनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश व डिक्री पारित करते समय ना तो अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही नियम 18 से 21 की पालना की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोखा को पुनःजॉच कर खाता विभाजन हेतु प्रेतिप्रेषित किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व अदालत हाजा के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में हुई देरी को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने गुणावगुण बहस पर कथन किया कि वादगत् भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने–अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् आराजी पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन में विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि सभी सह पक्षकारों को हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी व निम्न से निम्न स्तर की भूमि में से समान रूप से विभाजन किया जाना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उक्त विभाजन कानून की नजर में शून्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादगत् आराजी का विभाजन व रिकार्ड में इन्द्राज अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत के आदेश की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि का किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे बताया गया कि विभाजन करते समय रिकार्ड में सही रूप से इन्द्राज कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत इंतकाल की अपील में भी अदालत मातहत द्वारा विभाजन को विधि अनुसार मानते हुए इंतकाल की अपील खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् विभाजन पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार व बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादगत् आराजी वाके रोही कुचौर आगूणी तहसील नोखा की खसरा नम्बर 40 में 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 156 में 4.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 174 में 3.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 202 में 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 में 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 220 में 2. 92 हेक्टर, खसरा नम्बर 238 में 3.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 244 में 4.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 में 6.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 247 में 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 में 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 250 में 3.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 251 में 5.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 252 में 3.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 में 2.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 में 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 में 8.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 264 में 7.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 269 में 8.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 272 में 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 307 में 6.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 626 में 1.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 में 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 में 0.55

हेक्टर, खसरा नम्बर 329 में 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 370 में 5.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 371 में 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 में 5.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 में 3.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 509 में 9.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 526 में 3.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 548 में 3.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 में 2.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 550 में 2.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 में 9.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 में 1.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 में 3.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 में 2.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 583 में 2.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 585 में 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 588 में 4.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 633 में 4.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 635 में 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 670 में 2.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 में 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 725 में 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 727 में 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 792 में 3.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 801 में 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 802 में 3.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 398 में 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 900 में 5.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 901 में 1.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 903 में 1.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 908 में 3.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 917 में 0.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 में 2.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 923 में 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 924 में 3.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 925 में 4.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 930 में 4.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 996 में 5.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 1026—588 में 0.25 हेक्टर, कुल किता 64 तादादी 216.67 हेक्टर भूमि बाबत् अदालत मातहत के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वादगत् आराजी के संबंध में दिनांक 28—02—2011 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए दिनांक 06—06—2011 को फाईनल डिक्री जारी करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत आरटीए के तहत बंटवारा करते हुए विभाजन किया गया।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के धारण की भूमि के अनुसार व कब्जे काश्त के अनुसार व बाहमी बंटवारें के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के अनुसार खाता विभाजन करने के आदेश दिनांक 28—02—2011 को पारित किये गये व प्राथमिक डिक्री पारित की गई।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री व दिशा निर्देशों के **अनुसरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थिति होकर** सभी पक्षकारों की मौजूदगी में वादगत् भूमि का बाई मिट्स एण्ड् बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन पक्षकरों के मध्य मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार व उनके धारण में रही भूमि के आधार पर किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसीस्थिति में अभिभाषक अपीलांट का कथन कि नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा अभिभाषक अपीलांट का उक्त कथन बेमानी कथन है।

(4) प्रकरण में कुल वादगत् भूमि 216.67 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा निहित होने से प्रत्येक सह खातेदार का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स व कब्जे काश्त व धारण की रही भूमि के हिस्से के अनुसार आपसी बंटवारे में होनाचाहिए था। अदालत मातहत द्वारा विभाजन करते समय इस तथ्य पर पूर्णतया गौर करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स समान रूप से विभाजन किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार व विधिक प्रकिया के अनुसार है।

(5) इस संबंध में वादगत् आराजीयात का विभाजन धारा 53 आरटी एक्ट के तहत होता है जिसमें प्रथम करार द्वारा विभाजन होता है यह अभिधारियों के मध्य करार विभाजन जोत के अंश के हकदार होते है विभाजन निष्पादन कर सकते है जैसा कि 1984 आरआरडी पेज 712 में अभिनिर्धारित है। प्रकरण में यह निर्विवाद रूप से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव जोकि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव अदालत मातहत को प्रेषित किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी अनुरूप पक्षकरों के मध्य फाईनल डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में हम अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 06—06—2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर